संख्या:-02/2021/335/सोलह-1-2021-09(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2021

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार की परियोजना हेतु रूसा योजना के अंतर्गत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 55.00 करोड़ (केन्द्रांश रू0 33.00 करोड़ व राज्यांश रू0 22.00 करोड़) के सापेक्ष अब तक कुल रू0 2663.25 लाख की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार निर्गत की जा चुकी है-

शासनादेश दिनांक	कुल निर्गत धनराशि	केन्द्रांश			राज्यांश		
		47	83	81	47	83	81
					520.00	130.00	--
03.01.2017	650.00	--	--	--	--	--	--
29.03.2018	1000.00	1000.00	--	--	--	--	--
31.03.2018	340.00	--	340.00	--	--	--	--
30.03.2019	310.00	248.00	62.00	--	332.50	--	--
28.01.2020	363.25	30.75	--	--	852.50	130.00	0.00
योग	2663.25	1278.75	402.00	0.00			

2. सूच्य है कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अपने पत्रांक-2116/एसपीडी/रूसा/79(यू)/15-16 दिनांक 29.01.2021 द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0 रू0 86.75 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, ताकि केन्द्रांश की अगली किश्त प्राप्त किया जा सके।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार की परियोजना हेतु राज्यांश की अवशेष कुल धनराशि रू0 86.75 लाख (रू0 छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी विश्वविद्यालय की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) प्रायोजना से सम्बंधित अन्य विभागों से समस्त क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(9) अनुदान संख्या-83 व 81 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) उपरोक्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक व्यय करते हुए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(12) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्तियों एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, विश्वविद्यालय उत्तरदायी होंगे।

2. स्वीकृत धनराशि रू0 86.75 लाख में से रू0 4.25 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य तथा रू0 82.50 लाख का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के मद अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-796-अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, संख्या-11/2020/बी-1-686/दस-2020-231/2020 दिनांक 03.12.2020 तथा संख्या-12/2020/बी-1-706/दस-2020-231/2020 दिनांक 09.12.2020 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

संख्याः-02/2021/335 /सोलह-1-2021-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(2) उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) जिलाधिकारी, कानपुर।
(7) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।
(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन
(12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव

संख्या:11/2021/580/सोलह-1-2021-9(बजट-7)/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2021

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1114/मेंट/21 दिनांक 23.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा परियोजना के कार्यों की अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रू0 196.00 लाख की धनराशि अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-19/सोलह-1-2020-9(बजट-7)/2011 दिनांक 24.03.2020 द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू0 **392.51 लाख**(जी॰एस॰टी॰ सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू0 196.51** लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा रू0 196.00 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त **हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण** हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि **रू0 196.00 लाख** (रू0 एक करोड़ छियानवे लाख मात्र) निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं हस्तानान्तरण प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(6) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि विश्वविद्यालय/संस्थान के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(7) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावर्णीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की दोहरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(14) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।

(15) प्रायोजना में उच्च विशिष्टियों का प्राविधान/इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्तियों एवं किसी भी प्रकर की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तरदायी होंगे।

2. चालू वित्तीय वर्ष 202-21 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 196.00 लाख में से **रू0 114.73 लाख** का व्यय अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं **रू0 81.27 लाख** का व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिनांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिनांक 20.01.2021 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव,

संख्याः-11/2021/580/सोलह-1-2021-9(बजट-7)/2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-02, कानपुर।
(7) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 10/2021/581/सोलह-1-2021-9(बजट-6)/2016

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2021

विषय- **हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1113/मैट/21 दिनांक 23.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा परियोजना के कार्यो की अद्यतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रू0 109.05 लाख की धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. शासनादेश संख्या-59/2019/2504/सोलह-1-2019-9(बजट-6)/2016 दिनांक 07.08.2019 द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु रू0 218.05 लाख+(जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 109.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा रू0 109.05 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/कैम्प कार्यालय के निर्माण हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि **रू0 109.05 लाख** (रू एक करोड़ नौ लाख पाच हजार मात्र) निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य में पूर्व के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि जनपद स्तर के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(8) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावर्णीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रायोजना में प्रस्तावित जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।

(16) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्यिों का इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(18) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्तियों एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तरदायी होंगे।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 109.05 लाख में से रू0 85.27 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू0 23.78 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिनांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिनांक 20.01.2021 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव

संख्याः-10/2021/581/सोलह-1-2021-9(बजट-6)/2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in